न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 127/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/255

निर्णय दिनांक: 13.03.2026

ब्रजलाल उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है प्रार्थी ग्राम सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 376 तादादी 15.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेत में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा स्थित है । वादगत खेत की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के पिता देवीलाल पुत्र पन्नाराम के नाम दर्ज थी । प्रार्थी के पिता देवीलाल जी कि मृत्युपरान्त वादगत खेत की खातेदारी जरिये विरास्तन इंतकाल संख्या 136 दिनांक 24.04.2024 के देवीलाल जी के सभी वारिसानों के नाम से दर्ज की गयी । यह हैं कि प्रार्थी के पिता देवीलाल जी की मृत्युपरान्त वादगत खेत का विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया तब वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का घर में बोलता नाम विजय कुमार दर्ज कर दिया गया जो गलत अंकित हैं, प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम ब्रजलाल हैं जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अद्धसरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्ध दर्ज नही होने से प्रार्थी को के.सी.सी. ऋण लेने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपना नाम ब्रजलाल अंकित करवाना चाहता हैं । प्रार्थी वादगत खेत का संयुक्त काबिज रिकार्डेड खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी हैं । प्रार्थी ने वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध अंकित करने हेतू दिनांक 26.06.2025 को अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही बताते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया । अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेत का खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आधार प्राप्त है । प्रार्थी ग्राम सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासीगण हैं एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादगत खेत ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 376 क्षेत्रफल 15.5300 हैक्टेयर रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम विजयकुमार की जगह ब्रजलाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें। अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 376 तादादी 15.5300 हैक्टेयर वाकेरोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम 'विजयकुमार' के स्थान पर शुद्ध नाम 'ब्रजलाल' दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 12:00:34 IST
Reason: SelfAttested